कुलसचिव कार्यालय

बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बाँदा-210001, उ0प्र0

Banda University of Agriculture & Technology, Banda-210001, U.P.

Tele Fax No:- 05192-232305 Ph-05192-232312; website: buat.edu.in email-registrar.buat@gmail.com

पत्रांकः 668/बीयूएटी/कु0स0/2026 दिनांकः 09/07/2026

आवश्यक सूचना

समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा–2026 की ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा प्रवेश एवं Upgradation (अपग्रेडेशन) प्रक्रिया इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। कृपया संलग्न प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान उसी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु संलग्न अपग्रेडेशन प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से करें।

09.07.2026

(एस0के0 सिंह)
कुलसचिव

10: काउन्सलिंग की पद्धति

स्नातक, मास्टर्स एवं पी–एच0डी0 पाठ्यक्रमों के लिये काउन्सलिंग निम्नानुसार होगीः–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	काउन्सलिंग राउण्ड		सीटों पर की जाने वाली काउन्सलिंग का विवरण
1	स्नातक **(B.V.Sc.)**	ऑनलाइन	प्रथम ऑनलाइन काउन्सलिंग	सामान्य (Normal) एवं पेड (Paid) सीटों पर
			द्वितीय ऑनलाइन काउन्सलिंग	सामान्य (Normal) एवं पेड (Paid) सीटों पर
2	स्नातक (**B.V.Sc.** को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों)	ऑनलाइन	प्रथम ऑनलाइन काउन्सलिंग	सामान्य (Normal) एवं पेड (Paid) सीटों पर
			द्वितीय ऑनलाइन काउन्सलिंग	सामान्य (Normal) एवं पेड (Paid) सीटों पर
			तृतीय ऑनलाइन काउन्सलिंग	सामान्य (Normal) एवं पेड (Paid) सीटों पर
3	मास्टर्स	ऑनलाइन	प्रथम ऑनलाइन काउन्सलिंग	सामान्य (Normal) एवं पेड (Paid) सीटों पर
			द्वितीय ऑनलाइन काउन्सलिंग	सामान्य (Normal) एवं पेड (Paid) सीटों पर
4	पी–एच0डी0	ऑनलाइन	प्रथम ऑनलाइन काउन्सलिंग	सामान्य (Normal) एवं पेड (Paid) सीटों पर
5	स्नातक / मास्टर्स / पी–एच0डी0	ऑफलाइन	ऑफलाइन काउन्सलिंग (प्रथम)	सामान्य (Normal), पेड (Paid) एवं एन0आर0आई / एन0आर0आई0 स्पोन्सर्ड (NRI/NRI Sponsored) सीटों पर
			विशेष ऑफलाइन काउन्सलिंग	रिक्त सामान्य (Normal), पेड (Paid) एवं एन0आर0आई / एन0आर0आई0 स्पोन्सर्ड (NRI/NRI Sponsored) सीटों पर

ऑनलाइन काउन्सलिंग की प्रक्रिया

(i) ऑनलाइन काउन्सलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन
(ii) ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग
(iii) ऑनलाइन च्वाइस लॉकिंग
(iv) सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित
(v) डाक्यूमेन्ट अपलोडिंग
(vi) सिक्योरिटी फीस जमा करना
(vii) प्रोविजनल एलोटमेन्ट लेटर डाउनलोड करना
(viii) आवन्टित अभ्यर्थियों का सम्बंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन किया जाना

i : ऑनलाइन काउन्सलिंग की पद्धति

अभ्यर्थी ऑनलाइन काउन्सलिंग के समय निम्न विवरण अपने पास रखना सुनिश्चित करें–

(1) पंजीकृत मोबाइल नं0, ई–मेल आईडी, रोल नं0 एवं जन्मतिथि।
(2) अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र स्कैन कापी (PDF) फार्मेट में अधिकतम साइज (1 MB) रखना होगा।
(3) यदि अभ्यर्थी ने आवेदन आरक्षित श्रेणी में जैसे कि OBC/SC/ST, दिव्यांगजन (Person with Disability- PWD), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Freedom Fighter-FF), भूतपूर्व सैनिक (Defence Person-DP) अथवा कृषि विश्वविद्यालयों के नियमित कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी (UE), में किया है, तो उस आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपने पास स्कैन कापी (PDF) फार्मेट में अधिकतम साइज (1 MB) रखना सुनिश्चित करें।
(4) समस्त प्रमाण पत्र इस तरह स्कैन होने चाहिए, जिससे उसे पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। अस्पष्ट रूप से स्कैन प्रमाण पत्र अस्वीकार्य रहेंगे।

Step 1: ऑनलाइन काउन्सलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration for Online Counselling)

(i) ऑनलाइन काउन्सलिंग में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथियों में पंजीकरण तथा काउंसलिंग शुल्क रू. 1000.00 जमा करना अनिवार्य होगा। आनलाइन काउन्सलिंग हेतु पंजीकरण केवल एक बार ही निर्धारित तिथियों में किया जायेगा। केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही आनलाइन काउन्सलिंग के विभिन्न चरणों में प्रतिभाग कर पायेगें।

(ii) ऑनलाइन काउन्सलिंग के पंजीकरण हेतु https://upcatetexam.org/ पर New Registration for Counselling के लिंक को क्लिक करें।

(iii) अगले पेज पर अपना प्रोग्राम, रोल न0 और जन्मतिथि अंकित कर Generate OTP पर क्लिक करें। इसके तुरन्त बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर एक ओटीपी (OTP) आ जायेगा। उस ओटीपी को भर कर Proceed बटन पर क्लिक करें।

(iv) अगले पेज पर अपना पासवर्ड बना कर Save Password बटन पर क्लिक करें।

(v) अभ्यर्थी ऑनलाइन काउन्सलिंग के पंजीकरण के लिए अपने रोल नं0, जन्म तिथि एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन (Login) करें।

(vi) ऑनलाइन काउन्सलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को एक बार रू–1000/–अप्रतिदेय (Non-Refundable) काउन्सलिंग शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा ट्रान्जेक्शन चार्ज अतिरिक्त देय होगा।

(vii) काउन्सलिंग शुल्क जमा करने के उपरान्त ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी तथा अभ्यर्थी लॉगिन (Login) कर च्वाइस फिलिंग कर सकेगा।

Step 2: ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग (Online Choice Filling)

(i) जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण निर्धारित तिथि में हो गया है, ऐसे अभ्यर्थी स्टेप 2 Online Choice Filling पर क्लिक करें। अगले पेज पर अपना रोल नं0, विषय, जन्मतिथि और पासवर्ड अंकित कर लॉगिन करें।

(ii) अगले पृष्ठ पर आपके आवेदन का पूरा विवरण खुल जायेगा। उस विवरण को मिलाने के बाद Choice filling बटन पर क्लिक करें।

(iii) अगले पृष्ठ पर च्वाइस फिल करने का फार्म खुल जायेगा। अपनी योग्यता और शैक्षिक अर्हता के अनुसार वरीयता क्रम में विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते है। अभ्यर्थी द्वारा जिस क्रम में विश्वविद्यालय/कालेज, विषय, सामान्य सीट एवं पेड सीट का चुनाव किया जायेगा उसी के क्रम के अनुसार अभ्यर्थी को सीट का आवंटन किया जायेगा। च्वाइस भरते समय अभ्यर्थी को विशेष ध्यान देना होगा, कि सर्वप्रथम सामान्य सीट तथा उसके बाद पेड सीट का चुनाव करें।

(iv) च्वाइस फिलिंग करने के बाद Save बटन पर क्लिक करें। जिसके उपरान्त च्वाइस सेव Save हो जायेगी और जब तक अभ्यर्थी स्वयं च्वाइस लॉक नहीं करता है तब तक सेव save रहेगी। च्वाइस लॉक के अन्तिम निर्धारित तिथि में सेव Save च्वाइस को यदि अभ्यर्थी लॉक नहीं करता है, तो वे अपने आप लॉक हो जायेगी।

(v) अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के अन्दर अपने च्वाइस संशोधित कर सकता है। संशोधन के उपरान्त च्वाइस को सेव करना होगा।

(vi) अभ्यर्थी आनलाइन च्वाइस फिलिंग के दौरान विषयों का चुनाव करने से पहले विवरण पुस्तिका में अर्हता सम्बन्धित जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थी केवल उन्हीं विषयों का चुनाव करें, जिसमें प्रवेश हेतु पात्रता पूर्ण करते हो। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक च्वाइस फिलिंग करनी होगी।

Step 3: ऑनलाइन च्वाइस लॉकिंग (Online Choice Locking)

(i) च्वाइस फिलिंग के उपरान्त अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि के अन्तर्गत अपनी सेव की हुई च्वाइस Choice lock करना होगा।

(ii) च्वाइस लॉक करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी च्वाइस तथा उसके क्रम को भली–भॉति देखकर ही च्वाइस लॉक करें। च्वाइस लॉक करने के उपरान्त उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में च्वाइस लॉक Choice lock नहीं करता है, तो च्वाइस लॉकिंग की निर्धारित अंतिम तिथि में च्वाइस लॉक स्वतः हो जायेगी।

Step 4: सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित (Seat allocation and Result declaration)

(i) अभ्यर्थी के मेरिट एवं च्वाइस के अनुसार आवंटित सीटों का परिणाम निर्धारित तिथि में घोषित कर दिया जायेगा। जिसकी सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 पर भेजी जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउन्सलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर अपना सीट आवंटन परिणाम देख सकता है।

Step 5: डाक्यूमेन्ट अपलोडिंग (Document Uploading)

(i) जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउन्सलिंग में सीट आवंटित हो गयी होगी, उन्हे वांछित Document Upload करना अनिवार्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी ऑनलाइन काउन्सलिंग डाक्यूमेन्ट अपलोडिंग के लिए अपने रोल नं0, विषय, जन्म तिथि एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन (Login) करें।

(iii) अभ्यर्थी अपने समस्त प्रमाण– पत्रों (शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंकपत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन (Person with Disability-PWD), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Freedom Fighter-FF), भूत पूर्व सैनिक (Defense Person-DP), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अथवा कृषि विश्वविद्यालयों के नियमित कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी (University Employee-UE) प्रमाण पत्र की स्पष्ट स्कैन कापी पी0डी0एफ0 (PDF) फार्मेट में अपलोड करके Upload बटन पर क्लिक करे।

(iv) अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउन्सलिंग पोर्टल पर ही डाक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अन्य माध्यम जैसे कि ई–मेल, व्हाट्सअप, फैक्स आदि से भेजे गये डाक्यूमेंट स्वीकार्य नहीं होंगे।

(v) डाक्यूमेन्ट अपलोड निर्धारित तिथियों में ही करना सुनिश्चित करें।

Step 6: सिक्योरिटी फीस जमा करना (Security fees deposit)

(i) ऑनलाइन डाक्यूमेंट अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक **सिक्योरिटी फीस (रू0 5000.00)** (रू0 पॉच हजार मात्र) ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ट्रान्जेक्शन चार्ज अतिरिक्त देय होगा।

(ii) डाउनलोड की गयी सिक्योरिटी फीस की रसीद का प्रिन्ट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।

(iii) सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन न जमा करने की स्थिति में सीट का आवंटन निरस्त माना जायेगा।

Step 7: प्रोविजनल एलोटमेन्ट लेटर डाउनलोड करना (Download Provisional Allotment letter)

(i) सिक्योरिटी फीस जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी अपना आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) अपने लॉगिन आई0डी0 से डाउनलोड कर सकते हैं।

Step 8: विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया/रिर्पोटिंग एवं डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन किया जाना (Reporting)

(i) ऑनलाईन काउन्सलिंग के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों को सम्बंधित विश्वविद्यालय में पहुंच कर प्रवेश एवं डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

(ii) अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज (पृष्ठ सं0 58 के अनुसार), आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) एवं डिपोजिट सिक्योरिटी फीस की रिसीट (Security Fee Receipt) के साथ सम्बन्धित विश्वविद्यालयों में निर्धारित तिथि पर रिपोर्ट करें।

(iii) सम्बन्धित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जॉच कर ही प्रवेश की पुष्टि की जायेगी। सूचना विवरणिका में अंकित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप न होने की दशा में किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

अपग्रेडेशन की प्रक्रियाः

1. अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउन्सलिंग (ऑनलाइन/ऑफलाइन) में केवल एक बार ही मिलेगा।
2. प्रथम आवंटन के बाद ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन काउन्सलिंग के अगले चरण में अन्य कोर्स के लिए अपग्रेडेशन लेना चाहते है, ऐसे अभ्यर्थी को केवल सिक्योरिटी शुल्क रू0 5000.00 जमा करना होगा, उसके उपरान्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपग्रेडेशन Apply करना होगा। अपग्रेडेशन Apply के बाद अभ्यर्थी को पूर्व में आंवटित विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। यदि अगले चरण की काउन्सलिंग में अभ्यर्थी की च्वाइस के अनुसार सीट अपग्रेड हो जाती है, तो अभ्यर्थी को आंवटित विश्वविद्यालय में निर्धारित तिथि में रिपोर्टिंग/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है, अभ्यर्थी के लागिन पर तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय के लॉगिन पर अपग्रेडेशन का विवरण उपलब्ध होगा। अपग्रेडेशन के उपरान्त जब अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु आवंटित विश्वविद्यालय में उपस्थित होगा, और आंवटित विश्वविद्यालय द्वारा डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन के दौरान यदि कोई प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। पूर्व में आंवटित सीट एवं अपग्रेडेड सीट (दोंनो) पर अभ्यर्थी का दावा मान्य नहीं होगा।

3. यदि अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन नहीं होता है, तो वह अन्य कोर्स के लिए अगले राउंड की काउन्सलिंग में अपग्रेडेंशन (Upgradation) Apply) कर सकता है। प्रथम काउन्सलिंग (पूर्व काउन्सलिंग) में आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को सम्बन्धित विश्वविद्यालय में पहुंच कर रिपोर्टिंग/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करनी होगी। यह व्यवस्था केवल ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु लागू होगी।
4. **यदि अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन नहीं होता है, तो स्नातक (B.V.Sc. को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम) की तृतीय ऑनलाइन, स्नातक B.V.Sc. एवं मास्टर्स की द्वितीय ऑनलाईन काउन्सलिंग में आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश/रिर्पोटिंग हेतु निर्धारित तिथि में पहुंच कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।**
5. यदि अभ्यर्थी अपग्रेडेशन Apply नहीं करना चाहता है, तो अभ्यर्थी को जो सीट आंवटित हुयी है, उस पर प्रवेश के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
6. अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट को छोड़कर अपग्रेड हेतु च्वाइस (Choice) देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है, तो जिस पाठयक्रम में प्रवेशित था उसी पाठयक्रम में प्रवेशित रहेगा।
7. यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेडेशन हेतु आवेदन करता है, और वह अपग्रेड हो जाता है, तो अपग्रेड सीट रिक्त होने की दशा में काउन्सलिंग के समय अन्य अभ्यर्थी की रैंक से भरी जायेगी। किसी भी दशा में अपग्रेडेट अभ्यर्थी का पूर्व में आंवटित सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के द्वारा जिस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है वहॉ पहुंच कर रिपोर्ट करना होगा और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है, तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा तथा पूर्व में आवंटित सीट भी निरस्त हो जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडेड सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं उनका अपग्रेडेशन से पूर्व तथा अपग्रेडेड (दोनों) सीटों पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
9. यदि कोई अभ्यर्थी ऑफलाइन काउन्सलिंग में अपग्रेडेशन लेना चाहता है तो अभ्यर्थी को काउन्सलिंग में भाग लेना आवश्यक होगा।
10. ऑफलाइन काउन्सलिंग के समय अभ्यर्थी को विषय विशेष एवं वर्ग विशेष (सम्बन्धित विश्वविद्यालय) में पेड से सामान्य सीट पर रैंक के अनुसार आटो–अपग्रेडेशन की सुविधा अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में भी होगी।
11. ऑफलाइन काउन्सलिंग के समय अभ्यर्थी को विषय विशेष के अन्तर्गत ऑटो–अपग्रेडेशन की सुविधा सम्बन्धित विश्वविद्यालय में अनुमन्य होगी। एक विषय से दूसरे विषय में आटो–अपग्रेडेशन की सुविधा सम्बन्धित विश्वविद्यालय में अनुमन्य नहीं होगी।
12. विशेष काउन्सलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का लाभ लेता है, तो उस अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी की सीट रिक्त होगी, ऐसी रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों में स्थानान्तरित करते हुये रैंक के आधार पर (उस अभ्यर्थी से नीचे रैंक वाले से) भरी जायेंगी।